संख्या-85/2021/1108/22-2-2021-17(1052)/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2021***

विषय:-जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12189/प्रोबे0अनु0(2)-223/सला0समिति/(एम-19.05.2021), दिनांक 20.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, ग्राम-बेली बुजुर्ग, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 21.06.1997 की रात्रि समय करीब 09:45 बजे बन्दी द्वारा एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर अशोक कुमार द्विवेदी और दानबहादुर को रोड पर दौड़ाकर गोली मारकर हत्या कर दी और परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/1998 में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर के आदेश दिनांक 16.06.2007 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 के अन्तर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध क्रिमिनल अपील संख्या-5206/2007 राजीव तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य के साथ सम्बद्ध क्रिमिनल अपील संख्या-4149/2007 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 23.05.2014 का संगत अंश निम्नवत है:-

To our view, finding given by the trial court that the prosecution has succeeded to prove the guilt of the accused persons beyond shadow of all reasonable doubt, does not suffer from any illegality or irregularity. Learned counsel for the appellants has failed to show any patent illegality or irregularity in the judgment of the trial court which can be interfered by this Court in this appellate jurisdiction. To our view, the prosecution has succeeded to prove the guilt of the accused persons beyond shadow of all reasonable doubt and the judgment of the trial court is well founded and there is no reason in this appellate jurisdiction to interfere in the judgment of the trial court and this appeal has got no force and is liable to be dismissed.

Both the above criminal appeals are, hereby, dismissed. Both the appellants-Rajeev Kumar Tiwari alias Babloo and Satyabrat Rai are on bail. Their bail bonds are cancelled. They will surrender immediately before the C.J.M., Gorakhpur. They shall be taken into custody and will serve out the sentences imposed upon them by the learned trial Court. In case they fail to surrender, the Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur shall take coercive steps.

3- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त पारित आदेश दिनांक 23.05.2014 के विरूद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका क्रिमि0 संख्या-1041/2015 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 निम्नवत है:-

The Special Leave Petition is dismissed.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- याची/बन्दी द्वारा अपनी समयपर्वू रिहाई के सम्बन्ध में रिट याचिका क्रिमि0 सं0-8418/2020 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य मे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 19.04.2021 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

" xxxxxx

27. Based on above proposition, the contention of the learned Addl. A.G. was that at the end of the day, a convict is only entitled to a right of consideration for pre-mature release either under Article 72 & 161 of the Constitution or under Sections 432/433 of the Code.

28. We do not dispute the above contention but with a firm caveat that such discretion must be exercised in a fair and reasonable manner. Once the State in its wisdom has framed a policy to confer the benefit of premature release to either a class of convicts or an individual convict, provided their cases do not fall within the prescribed prohibited category as laid in the policy, then it is expected of the State to consider such cases in a manner known to law within the prescribed parameters. Consideration of premature release of a convict must be in a reasonable and fair manner. Such consideration is not beyond pale of judicial challenge and it is open to judicial review within the permissible limits. We further wish to add that what has been said in Paragraph-259 of the above judgement, would not and cannot mean that premature release of a convict be considered on wholly irrelevant consideration rather it must always be considered in a reasonable and fair manner knownto law.

29. We, in the light of above discussion, are of the considered view that the impugned order dated 29.1.2021 has been passed mechanically, without any application of mind on irrelevant considerations, which is liable to be set aside.

30. The writ petition is allowed. The order dated29.1.2021 is set aside/quashed. The matter is remanded to the Competent Authority to consider the release of the petitioner afresh under Section 433 of the Code, in the light of the above observations, in accordance with law, positively within a month.

xxxxxx"

5- बन्दी द्वारा दिनांक 28.04.2021 तक 17 वर्ष 05 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 28.04.2021 तक 49 वर्ष है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, दोहरे हत्या काण्ड किये जाने, गैंगेस्टर जैसे अपराधों में सजा होने, जमानत पर बाहर आने पर हत्या जैसी गम्भीर अपराध को अन्जाम दिये जाने ऐसी दशा में निश्चय ही भविष्य में अपराध कारित करने के पूर्ण आसार होने, बन्दी स्वस्थ, सुडौल शरीर व शारीरिक रूप से पूर्णतया क्षमतावान होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहाई उपरान्त वादीगण की हत्या करने की पूर्ण सम्भावना होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत व प्रभावशाली होने, ऐसी दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का कोई औचित्य नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 14.05.2021 में यह उल्लेख किया गया है कि "In this matter the opinion of this court is as follows:

" The appropriate Government/Competent authority may remit or commute sentence of Satyavrat Rai. Subject to the policy dated 01.08.2018 formulated by the State for release of convict under Section 433 Cr. P.C. and other relevant laws and rules as well as directions contained in order date 19.04.2021 passed by Hon'ble High Court of judicature at Allahabad in Crl. Mis. Writ Petition No-8418 of 2020, Satyavrat Rai V_s State of U.P and others."

The opinion of this court is being submitted as above."

सलाहकार समिति के अनुसार दिनांक 21.06.1997 की रात्रि समय करीब 09:45 बजे बंदी द्वारा एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर अशोक कुमार द्विवेदी और दानबहादुर को रोड पर दौडाकर गोली मारकर हत्या कर दी और परिवार को जान से मारने की धमकी दिये जाने, बन्दी द्वारा जितने अपराध किये गये हैं वह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, पूर्व में उपरोक्त जब भी जमानत पर बाहर आने पर हत्या जैसी गम्भीर अपराध को अन्जाम दिये जाने ऐसी दशा में निश्चय ही भविष्य में अपराध कारित करने के पूर्ण आसार होने, बंदी स्वस्थ, सुडौल शरीर व शारीरिक रूप से पूर्णतया क्षमतावान होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहाई उपरान्त वादीगण की हत्या करने की पूर्ण सम्भावना होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत व प्रभावशाली होने, ऐसी दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का कोई औचित्य नहीं होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 सपठित धारा-433 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सत्यव्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

6- याची/बन्दी की मॉ श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 दानबहादुर राय, ग्राम-बेली बुजुर्ग, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.04.2021 के क्रम में एवं क्रिमि0 मिस रिट पिटीशन सं0-8418/2020 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.04.2021 के समादर में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सत्यव्रत राय (बन्दी संख्या-266/2018) पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-85/2021/1108(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री मनीष गोयल, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- श्री शिव कुमार पाल, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- श्री ए0के0 सण्ड, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
7- निजीसचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 दानबहादुर राय, ग्राम-बेली बुजुर्ग, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in